रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72

REGISTERED No. D. (D.N.)-72



असाधाररण EXTRAORDINARY

भाग II-लण्ड 3-उप-लण्ड (1) PART II-Section 3-Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

संब 168] नई बिल्लो, सोमवार, मई 31, 1982/ज्येष्ठ 10, 1904 No. 168 अटल DELMI, MONDAY, MAY 31, 1982/JYAISTHA 10, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या वी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

नौबहन धौर परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मई, 1982

सा०का०भि० 441(भ).---केम्द्रीय सरकार, महापत्तन स्थास (संगोधन) प्रधिनियम, 1982 (1982 का 17) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस मधिसूचना के सरकारी राजपत्न में प्रकाशित होने की तिथि को वह तिथि नियुक्त करती है जिससे उक्त मधिनियम लागू होगा।

> [सं० पी० डक्ल्यू०/पी०जीं०एल०-31/81] दि० फू० जैन, संयक्त सचिव

270 GI/82 (1)

## MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

## (Ports Wing)

## NOTIFICATION

## New Delhi, the 31st May, 1982

**G.S.R.** 441(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Major Port Trusts (Amendment) Act, 1982 (17 of 1982), the Central Government appoints the date of publication of this notification in the Official Gazette as the date on which the said Act shall come into force.

[PW/PGL-31/81]

\_\_\_\_\_

D. K. JAIN, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064 AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1982